फर्द अहकाम
(नियम–26)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चितौड़गढ़ (राज0)

श्री नवलराम पिता काना जी डांगी सदस्य सेमलिया ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. सेमलिया तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

1–व्यवस्थापक, सेमलिया ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड़ सेमलिया
2–उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़
किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
प्रकरण संख्या 56 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/04/21 (29/04/21)	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री नवलराम पिता कानाजी डांगी, सदस्य सेमलिया ग्राम सेवा सह. स. लि., सेमलिया द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन दिनांक 31.10.2019 को व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. सेमलिया को प्रस्तुत किया। व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. सेमलिया तथा उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को उक्त आवेदन पत्र से चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। अपील के साथ संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. सेमलिया को सम्बोधित है एवं चाही गई सूचनाएं भी उन्ही से संबंधित है जो कि सहकारिता विभाग का विषय है। व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, लि. सेमलिया तथा उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई की सक्षमता/क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। (तारा चन्द मीणा) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:17:15 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official